

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.13(155)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/डब्ल्यू.डी.टी./2015/9090-9136 दिनांक : 9.10.2015

परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद - समस्त

विषय :- आई.डब्ल्यूएमपी. योजनान्तर्गत डब्ल्यू.डी.टी. सदस्यों के नियोजन के क्रम में।
प्रसंग :-निदेशालय का पत्रांक एफ18(33)निजभूस/आई.डब्ल्यूएमपी./ 6942 दिनांक 7.8.2015 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यूएमपी. अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में स्वीकृत में से चयनित परियोजनाओं में राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त परियोजनाओं में प्राप्त होने वाली राशि में प्रशासनिक मद में प्रावधित राशि एवं पूर्व में अवशेष प्रशासनिक मद अन्तर्गत राशि के अनुसार डब्ल्यू.डी.टी. सदस्यों का नियोजन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आई.डब्ल्यूएमपी. अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत स्वीकृत में से चयनित वर्ष 2011-12 में स्वीकृत परियोजनाओं में शत-प्रतिशत मौक्तिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित की जा सके।


परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी एवं सहायक अभियन्ता किसी परियोजना में नियोजित डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य की सेवाएँ किसी अन्य परियोजना में ले सकते हैं, जिनके मानदेय का भुगतान परियोजना के प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से किया जावे।


(अनुराग भारद्वाज)
निदेशक

क्रमांक : एफ.13(155)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/डब्ल्यू.डी.टी./2015/9090-9136 दिनांक : 9.10.2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/आई.डब्ल्यूएमपी.), निदेशालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक(पी.एफ.सी./आई.डब्ल्यूएमपी./मूल्यांकन/प्रशि./एम.आई.एस./कृषि-1, 11, 111), निदेशालय जयपुर।
4. उप निदेशक(पी.एफ.सी./पशुपालन/डब्ल्यू.डी.टी.जीविकोपार्जन), निदेशालय जयपुर।
5. ए.सी.पी., निदेशालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्रांक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(B.L. Verma)
संयुक्त निदेशक(आई.डब्ल्यूएमपी.)